राजस्थान कर बोर्ड, अज़मेर

1. अपील संख्या – 1258/2012/उदयपुर

मैसर्स जगदीश पुरी गोस्वामी,
उदयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त,
वर्क्स एवं लीजिंग टैक्स, उदयपुर। ....प्रत्यर्थी

2. अपील संख्या – 1259/2012/उदयपुर

मैसर्स श्याम सिंह चौहान,
उदयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त,
वर्क्स एवं लीजिंग टैक्स, उदयपुर। ....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री अमर सिंह –सदस्य

उपस्थित : :

श्री एस.के.गंगवानी,
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उपराजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 09/01/2014

निर्णय

1. ये अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलय अधिकारी"** कहा जायेगा) के अपील संख्या 278/279/वैट/संशो./10–11 आदेश दिनांक 23.02.2012 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि उपायुक्त (अपील्स) उदयपुर द्वारा अपीलार्थी की अपील संख्या 278 एवं 279 दिनांक 13.09.2011 को अपील निर्णय कर शास्ति अन्तर्गत धारा 58 के बिन्दु पर प्रकरण को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष धारा 33 के तहत आवेदन पत्र पेश किया। जिसका निस्तारण करते हुये अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.02.2012 से अपीलार्थी के आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध ये अपीलें पेश की गयी है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी का आदेश पूर्णतया अविधिक है। शास्ति के बिन्दु पर प्रतिप्रेषित करना पूर्णतया अनुचित है। इसके बावजूद भी अपीलीय अधिकारी द्वारा इसे प्रतिप्रेषित किया जाने से भूल की है। यह भूल रिकार्ड की भूल है अतः उसके द्वारा संशोधन आवेदन पेश किया जिसे भी

लगातार.....2

अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया। यह भी एक वैधानिक भूल है। अतः अपील को स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर प्रतिप्रेषित आदेश को भी अपास्त किया जावें।

5. विभाग की ओर से श्री अनिल पोखरणा उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर देने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया था। इसमें रिकार्ड की कोई भूल नहीं होने से धारा 33 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य था। अतः अपीलीय अधिकारी का आदेश पूर्णतया उचित है।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा मैसर्स जयपुर मैटल एण्ड इलैक्ट्रीकल्स लि0 के वाद में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.07.1982 को आधार मानकर प्रतिप्रेषित निर्णय को उचित बताया है। उतः उसमें धारा 33 के तहत संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं मानते हुये अपीलार्थी के आवेदन पत्र को खारिज किया गया है, जो उचित है। अतः अपीलार्थी की अपीलों को अस्वीकार किया जाता है।

7. फलतः अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

9-1-14

(अमर सिंह)
सदस्य